

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, मवाना, मेरठ।

फाईनल रिपोर्ट / फौजदारी विविध वाद सं०-23/2026
श्रीमती बरखा देवी बनाम प्रदीप आदि

मुकदमा अपराध संख्या-172/2024
अन्तर्गत धारा-323,504,506 भा.द.स.
थाना- मवाना, जिला- मेरठ

दिनांक:-04.06.2026

पत्रावली प्रस्तुत। वादी मुकदमा उपस्थित है।

पत्रावली एवं केस डायरी का अवलोकन किया। वादी मुकदमा द्वारा प्रार्थनापत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रस्तुत प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट उसके द्वारा लिखायी गयी थी, जिसमें पुलिस द्वारा विवेचना उपरांत अंतिम आख्या प्रेषित की गयी है। वादी मुकदमा वाद को आगे चलाना नहीं चाहता है तथा अंतिम आख्या स्वीकार किए जाने पर उसे कोई आपत्ति नहीं है। ऐसी स्थिति में अंतिम आख्या लम्बित रखना न्यायोचित प्रतीत नहीं होती है। मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए विद्यमान परिस्थितियों में प्रस्तुत प्रकरण में प्रेषित अंतिम आख्या को स्वीकार किये जाने का पर्याप्त आधार है। तदनुसार अंतिम आख्या स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत प्रकरण मुकदमा अपराध संख्या 172/2024 अन्तर्गत धारा- 323,504,506 भा. द.स. थाना-मवाना,जिला मेरठ में प्रेषित अंतिम आख्या स्वीकार की जाती है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

। प्रशान्त मौर्य।
न्यायिक मजिस्ट्रेट, मवाना
(मेरठ)
I.D.No.UP.3377